राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

क्रमांक /राजस्व/2025/ 64

दिनांक :– 08/1/2025

:आदेश:

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू. अभिलेख नियम 1957 मौजा रामसर आगोर व खारची के खातेदारी खसरा नंवर **66, 67, 259/32** किसम वा.सो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नही है। उक्त रास्तें का राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एंव बीएंव सी व डी के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज– 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रसतावित किया गया है।

क.स.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरें का रकबा हेक्टेयर में
1.	रामसर आगोर	66	22.2253	गैर मु.पहाड.	0.1924	22.0329
		67	5.5766	बा.सो.	0.0162	5.5604
2.	खारची	259/32	102.3772	गैर मु.धौरा	0.0761	3.9942

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप स चल रहे कदीमी/ बारहमासी रासता जो हर मौसम /सीजन के अनुसारबदलता नही है एंव वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है।जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा दिया जाकर .संलग्न नक्शे में **A** से **B** तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेरमुमकिन रास्ता दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है।अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता हैकि ‘उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक /राजस्व/2025/ 65-66

दिनांक :– 08/1/2025

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का बबुगुलेरिया।

उपखण्ड अधिकारी रामसर